न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 08/2016/निगरानी

चैनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड चैनपुरा जरिये अध्यक्ष रतनलाल पुत्र पाबुदान जाति जाट निवासी ग्राम चैनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. छीतरमल पुत्र जैलाराम जाति जाट निवासी ग्राम रामजीपुरा (चैनपुरा) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2. ग्राम पंचायत चैनपुरा, पंचायत समिति दांतारामगढ़ जिला सीकर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चैनपुरा।

रेस्पोडेन्टस

निगरानी विरूद्व निर्णय न्यायालय स्थायी प्रशासन समिति दांतारामगढ़ अपील संख्या 5/15 उनवानी छीतरमल बनाम चैनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति वगैरह दिनांकित 26.2.2016

वकील अपीलांट श्री सोहन लाल
वकील रेस्पोडेंट श्री जगदीश चन्द्र गठाला

निर्णय **दिनांकः—29.01.02018**

संक्षेप में निगरानीकर्ता के कथनों के अनुसार तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता के पक्ष में ग्राम पंचायत चैनपुरा पंचायत समिति दांतारामगढ़ द्वारा एक पट्टा संख्या 1 दिनांकित 5.2.2013 जारी किया हुआ है, जिसके खिलाफ एक अनाधिकृत व्यक्ति रेस्पोडेन्ट संख्या 1 छीतरमल द्वारा योग्य अधिनस्थ न्यायालय स्थायी प्रशासन समिति पंचायत समिति दांतारामगढ़ (सीकर) के समक्ष अपील संख्या 5/2015 उनवानी छीतरमल बनाम चैनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड चैनपुरा आदि प्रस्तुत की गयी, जिसमें योग्य अधिनस्थ न्यायालय स्थायी प्रशासन समिति पंचायत समिति दांतारामगढ़ (सीकर) द्वारा अपने निर्णय दिनांकित 26.2.2016 के माध्यम से यह निर्णय पारित कर दिया गया कि पत्रावली ग्राम पंचायत चैनपुरा को रिमांड की जाकर आदेशित किया जाता है कि उक्त संस्था से वर्तमान बाजार दर का 50 प्रतिशत राशि ली जाकर नियमानुसार राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 159(2) के तहत नियमितिकरण किया जावे। योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष गैर निगरानीकर्ता द्वारा चुनौतीग्रस्त अपील एक अनाधिकृत व्यक्ति होने के बावजुद प्रस्तुत की गयी तथा योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील में अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा निगरानीकर्ता के हक में जारी पट्टाशुदा भूमि का आबादी भूमि होना अभिकथित करते हुए योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। जबकि निगरानीकर्ता के हक में जारी पट्टाशुदा भूमि ग्राम चैनपुरा तहसील

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सकती है जो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार रहा है। स्वीकृत रूप से गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत चैनपुरा के समक्ष निगरानीकर्ता के हक में जारी पट्टा सम्बन्धी कार्यवाही में पक्षकार नहीं था। गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा योग्य अधिनस्थ न्यायालय स्थायी प्रशासन समिति पंचायत समिति दांतारामगढ़, सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील स्पष्टतया मियाद बाहर है। गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत मियाद माफी भी प्रस्तुत किया गया था। परन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद बिन्दु को निर्णीत किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। निगरानीकर्ता के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1 दिनांकित 05.02.2013 अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प संख्या 2 दिनांक 05.02.2013 के आधार पर जारी किया गया है। इस कारण संकल्प संख्या 2 दिनांक 05.02.2013 के कायम रहते अपीलाधीन निर्णय कानूनन परित नहीं किया जा सकता है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांकित 26.02.2016 एक पक्षीय है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय स्थायी प्रशासन समिति पंचायत समिति दांतारामगढ़ द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 26.02.2016 निरस्त फरमाया जाकर निगरानीकर्ता के पक्ष में अधिनस्थ ग्राम पंचायत चैनपुरा पंचायत समिति दांतारामगढ़ द्वारा जारी पट्टा संख्या 1 दिनांकित 05.02.2013 बहाल किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा पूर्वोक्त कथनों की पुनरावृति करते हुए निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया। अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता का कथन है कि ग्राम पंचायत चैनपुरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 1 दिनांक 05.02.2013 गलत रूप से फर्जी तरीके से तैयार किया गया है। उक्त पट्टा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत चैनपुरा द्वारा नियम 1966 राजस्थान पंचायत न्याय नियम 159(10) की पालना नहीं करते हुये जारी किया गया है। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत चैनपुरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 1 दिनांक 05.02.2013 को चैनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति चैनपुरा को 375 वर्गगज का नियम 158 के तहत निःशुल्क आवंटित किया गया है, जब कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 159(2) के तहत बाजार दर का पचास प्रतिशत राशि जमा ली जाकर भूमि आवंटन का प्रावधान है। इस प्रकार न्यायालय स्थाई समिति, पंचायत समिति दांतारामगढ़ के निर्णय दिनांक 26.02.2016 में किसी प्रकार की दखलन्दाजी की आवश्यकता नहीं है। लिहाजा निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर